न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 अपीलवाद संख्या–77/2018
राम चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22.10.2019 16/12/2019	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक राम चौधरी, पिता–स्व0 कैलू चौधरी, ग्राम–केसेरिया, पंचायत+पो0–भिण्डुआ, थाना–कुशेश्वरस्थान, जिला–दरभंगा की ओर से, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश ज्ञापांक 431 दिनांक 25.02.2016 से अनुज्ञप्ति सं0–11/2014 को रद्द किये जाने के विरूद्ध दाखिल सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपीलवाद आवेदन के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाद को प्रतिग्रहित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से मूल अभिलेख की मांग की गयी। तदालोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक 774 दिनांक 27.08.2018 से अभिलेख प्राप्त है। आवेदक की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् अपीलवाद अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश ज्ञापांक 431 दिनांक 25.02.2016 से जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–11/2014 को रद्द किये जाने के विरूद्ध एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–5627/2016 में दिनांक 17.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। अपीलार्थी पंचायत भिण्डुआ, प्रखंड–कुशेश्वरस्थान पूर्वी, जिला–दरभंगा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–14/1992 पुराना, 11/2014 नया के अनुज्ञप्तिधारी है। दिनांक 19.09.2015 को शाम 4.00 बजे अंत्योदय एवं पी0एच0एच0 राशन कुशेश्वरस्थान से नाव पर 156 बोरा लादकर जा रहा था कि अचानक बहेड़ा गाँव के पास बीच धार में नाव में धीरे–धीरे पानी भरने लगा तब अपीलार्थी द्वारा चिल्लाने के पश्चात् किनारे से जा रहे कुछ लोगों के द्वारा अपीलार्थी की जान बचाई गयी। परन्तु सारा अनाज डूब गया। जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं थानाध्यक्ष कुशेश्वरस्थान को दी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के पत्रांक 334 दिनांक 30.04.15 के उत्तर में अपीलार्थी का कथन है कि माह सितम्बर से किरासन एवं राशन का वितरण कर दी गयी है। वार्ड नं0–6 का राशन माह सितम्बर का राशन डूब जाने के कारण वितरण नहीं किया गया। माह अक्टूबर का अनाज उन्हें नहीं मिला इसलिए बाँटने का प्रश्न ही नहीं है। वार्ड नं0–6 के उपभोक्ता द्वारा दो माह से किरासन का उठाव नहीं कर रहे हैं, जो गोदाम में भंडारित है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के ज्ञापांक 126 दिनांक 21.01.2016 (अंकित–21.01.2015) द्वारा बिना जाँच प्रतिवेदन के अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के ज्ञापांक 144 दिनांक 29.01.2016 द्वारा बिना जाँच के द्वितीय स्पष्टीकरण भी पूछा गया।	

दिनांक 05.02.2016 एवं 12.02.2016 को प्राप्त हुआ, जिसका उत्तर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.02.2016 को समर्पित किया गया। उपर्युक्त सभी तथ्य एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये ही अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश ज्ञापांक 431 दिनांक 25.02.2016 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करने की कृपा की जाय।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अपीलार्थी श्री राम चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत–भिण्डुआ, प्रखंड–कुशेश्वरस्थान पूर्वी, जिला–दरभंगा द्वारा राशन/किरासन तेल का वितरण नहीं करने एवं दर एवं मात्रा में धांधली करने संबंधी शिकायत आवेदन जो श्रीमती सीता देवी एवं अन्य द्वारा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य के अनुसंशा के साथ समर्पित किया गया है के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान को अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक 75 दिनांक 14.01.2016 से जाँच हेतु निदेशित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान द्वारा अपने पत्रांकं 15 दिनांक 19.01.2016 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विक्रेता पर लगाया गया आरोप सही है। उपभोक्ताओं का बयान भी संलग्न किया गया है। जिस झोंपड़ी के घर में दुकान अवस्थित है, उसके मालिक का बयान भी संलग्न किया गया है। साथ ही मुखिया पंचायत राज भिण्डुआ एवं पंचायत समिति सदस्य का संयुक्त हस्ताक्षरित बयान संलग्न है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा भी जाँच के क्रम में अनियमितता पाया गया। सभी तथ्यों को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 431 दिनांक 25.02.2016 से अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0–11/2014 को रद्द किया गया, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँचोपरान्त शिकायत आवेदन में वर्णित तथ्यों को सही पाया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा के जाँच प्रतिवेदन 18.01.2016 के अनुसार दिनांक 09.01.2016 के जाँच में भी अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध दुकान संचालन में अनियमितता, खाद्यान्न उठाव के पश्चात् भी वितरण नहीं किया जाना, पंजी आदि अद्यतन नहीं किया जाना, अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा मनमाने ढ़ंग से दुकान का संचालन किया जाना दर्शाता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 15 दिनांक 19.01.2016 से भी स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न/किरासन निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में दिया जाता है। निर्धारित दर से ज्यादा राशि ली जाती है। कुछ उपभोक्ताओं को तो

दिया गया बयान भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न है, जिसमें भी स्पष्ट है कि खाद्यान्न/किरासन तेल कम मात्रा में दिया जाता है तथा दर से ज्यादा राशि ली जाती है। प्रत्येक माह में राशन भी नहीं दिया जाता और कार्ड पर सभी माह का भर दिया जाता है। साथ ही उपभोक्ताओं के साथ गाली–गलौज करने की बात भी प्रकाश में आया जो बयान में अंकित है। उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्पश्चात् अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं संलग्न कागजातों की जाँच अंचल अधिकारी –सह– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन उनके पत्रांक 38/24.02.2016 से समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अधिरोपित आरोप के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाया गया है।

इस प्रकार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा के जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश ज्ञापांक 431 दिनांक 25.02.2016 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–11/2014 को रद्द किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5627/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।